

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-23/2024-3866 व०प०, राँची, दिनांक-01/10/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- चतरा जिलान्तर्गत NH-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल-60.0849 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, MoEF&CC, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची पत्रांक-FP/JH/Road/146786/
2021/556 दिनांक-06.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि
भारत सरकार पत्र द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा
की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक 945

दिनांक 21/10/2024

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल
चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ
प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय
कार्यालय राँची द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की
कृपा की जाय।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
हजारीबाग
प्राप्तांक 2135
दिनांक 23.10.24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D. U.

21.10.24

कार्यालय - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

ज्ञापांक : 1887 दिनांक : 23.10.2024

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा - 825401

ज्ञापांक - 2112

दिनांक - 24/10/24

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव के संबंध में किए गए पृच्छा का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदित करने की कृपा की जाय।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/Road/146786/2021/556

दिनांक: 06.09.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

जिपान हाउस, राँची - 834002.

विषय:- चतरा जिलान्तर्गत NH-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 60.0849 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-23/2024-3455/व०प० दिनांक 29.08.2024 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता

I. The total area proposed for diversion mentioned in online Part-I and Part-II is 64.0849 ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & CF as 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.

II. Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road of the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.

III. The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few fragmental parts discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save such fragmentation and loss of forest thereafter.

Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.

Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.

VI. Undertaking/ Comments of the User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.

सचिव कोषांग

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

5097

26 SEP 2024


झारखण्ड, राँची

(23)

- VII. The details (PF & JJ land) of kml and Geo-referenced pdf map mismatched. Therefore, it needs to be corrected.
- VIII. CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.
- IX. Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at some places in the proposed forest.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित अवलोकित तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव को पुनः तैयार कराते हुए ऑनलाइन में अपलोड कर प्रसंस्करण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कर अनुगृहीत किया जाय।

विश्वासभाजन


(शशि शंकर)
उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।